छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर- 492001

क्रमांकः 2279/जी-1312/2009/1-सूअप्र

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2011

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़।

विषयः- सूचना का अधकार अधिनियम, 2005 का प्रभावशील क्रियान्वयन।

संदर्भः- भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक नं. 04/10/2011-आई.आर. दिनांक 18.05.2011

--00--

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक नं. 04/10/2011-आई.आर. दिनांक 18.05.2011 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, के सुदृढ़ीकरण के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं-

(a) विभागों/विभागाध्यक्षों/अधीनस्थ कार्यालयों व उपक्रमों के वार्षिक प्रतिवेदनों में सूचना का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन का एक पृथक अध्याय शामिल किया जाये, जिसमें वर्ष में प्राप्त आवेदन पत्र, निराकृत तथा अस्वीकृत किये जाने की संख्या का उल्लेख हो। इसके साथ ही यदि सूचना का अधिकार अधिनियम को सुदृढ़ करने के लिए कोई उपाय/प्रयास किए गये हों तो उनको भी दर्शाया जाये। यह कार्य वर्ष 2011-12 के वार्षिक प्रतिवेदनों में सुनिश्चित किया जाये।

(b) प्रत्येक विभाग तथा उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों में कार्यरत समस्त जनसूचना अधिकारियों/अपीलीय अधिकारियों को वर्ष में कम से कम आधे दिन का प्रशिक्षण दिया जाये, ताकि सूचना का अधिकार के प्रति उनकी भूमिका एवं कर्तव्य का अहसास हो सके। प्रत्येक मंत्रालयीन विभाग उनके अधीनस्थ जनसूचना अधिकारी/सहायक जनसूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(c) समस्त विभाग/जन प्राधिकारी कार्यालय जिनकी वेबसाईट उपलब्ध है, वे सूचना का अधिकार से संबंधित प्रत्येक माह में प्राप्त आवेदन पत्र, उनके निराकरण की माहवार जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशित करेंगे। जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख को Update की जाए। शासन के समस्त विभाग उनके अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों आदि में (इस निर्देश पर कार्यान्वयन हो रहा है, के संबंध में) कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।

उपरोक्त तरीके से की जाने वाली कार्रवाई तत्काल प्रारंभ की जावे।

2/ अतः कृपया निर्देशों का पालन आपके विभागों में व विभागों के समस्त अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/बोर्डों/निगमों/आयोगों में पत्र की छायाप्रति भेजकर आवश्यक कार्रवाई करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा पालन प्रतिवेदन 10 सितम्बर तक भेजें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

सही

(सैयद कौसर अली)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक 2279/जी-1312/2009/1-सूअप रायपुर, दिनांक 19 अगस्त, 2011

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक नं. 04/10/2011-आई.आर. दिनांक 18.05.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़ के पत्र क्रमांक 777/स्था/छगरासूअ/2011 दिनांक 02.07.2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त अध्यक्ष/आयुक्त, निगम/आयोग/बोर्ड, छत्तीसगढ़।
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर।
5. राज्यपाल के सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर।
6. सचिव, विधानसभा सचिवालय, छत्तीसगढ़, रायपुर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

सही

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

सामान्य प्रशासन विभाग